Regarding establishment of Muncipality unconstitutionaly in Tribal areas of Rajasthan

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मेरा जो विषय है, वह यह है कि 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान के अंदर हमारा अनुसूचित क्षेत्र है । संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगरपालिका, नगर निकाय का गठन नहीं हो सकता है, जब तक कि इस सदन से पेसा (PESA) कानून पास नहीं होता है । इसमें यह स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि अगर भारत की संसद में अनुच्छेद 243 (जेड.सी.) के तहत कानून पास नहीं होता है तो उससे पहले अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगरपालिकाओं का गठन नहीं किया जा सकता है । लेकिन संविधान के विरोध में, जाकर राजस्थान के अंदर कोई भी सरकार रही हो, आदिवासी इलाके के अंदर नगरपालिकाओं का तेजी से गठन हो रहा है । वहां पर जो आदिवासी समुदाय है, जिनके पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, जो एस.सी. समुदाय या अन्य गरीब तबके का समुदाय है, जिनको इधर-उधर विस्थापित किया जा रहा है, उनको जमीन के नाम से परेशान किया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदया, मेरा अनुरोध है कि नगरपालिका संविधान के विरोध में जाकर अनुसूचित क्षेत्र में लागू की जा रही है । वहां पर ग्राम पंचायत बनी हुई है । पेसा (PESA) एक्ट के तहत प्रावधान बना हुआ है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप कम्पलीट कीजिए ।

श्री राजकुमार रोत **:** महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा । जो आस-पास की ग्राम पंचायतें हैं, जो सरपंच हैं, पंचायती राज एक्ट है, उसके तहत बिल्कुल खत्म हो जाता है और पेरीफ्री का एरिया बढ़ाया जाता है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा क्षेत्र है ।

अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि केन्द्र सरकार संज्ञान लेकर अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से नगरपालिका का जो गठन हो रहा है, उसको रोका जाए । वहां एरिया का विस्तार पेरीफ्री के नाम से बढ़ाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है । इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसको रोका जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** श्री राम प्रसाद चौधरी जी ? उपस्थित नहीं ।

श्री अरविंद धर्मापुरी जी ? उपस्थित नहीं ।

श्री संजय हरिभाऊ जाधव जी ? उपस्थित नहीं ।

श्री विष्णु दयाल राम जी ? उपस्थित नहीं ।

डॉ. राजेश मिश्रा जी ? उपस्थित नहीं ।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर जी ? उपस्थित नहीं ।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी ? उपस्थित नहीं ।